अध्याय – 3
अनुपालन लेखापरीक्षा
(पंचायती राज संस्थाएं)

अध्याय – तीन
अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.1 नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी से बचाता है, बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में मदद भी करता है। नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं।

3.1.1 अवशेष दावों एवं अग्रिमों का असमायोजन

सी.ई.ओ., जनपद पंचायतों द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 92 (1) तथा (2) के पालन में दोषी सरपंचों से अवशेष बकाया के समयानुसार वसूली अथवा समायोजन में तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप राशि ₹ 34.31 लाख अग्रिम असमायोजित रहना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अनुच्छेद 89 (1) के प्रावधानानुसार पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी, उसके द्वारा कर्त्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण होने वाली किसी भी प्रकार के हानि, कपटपूर्ण व्यवहार अथवा गबन हेतु स्वयंमेव उत्तरदायी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषी से देय राशि की वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि दोषी अवशेष दावों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, तो यह उससे भू–राजस्व के बकाया के जैसा वसूली योग्य होगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 92 (1) तथा (2) उचित अधिकारी को दोषी से राशि भुगतान करने हेतु आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है।

चार जनपद पंचायत कार्यालयों[1] के अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2014 से मार्च 2015) के दौरान हमने पाया कि अवधि 1993–94 से 2012–13 के दौरान ग्राम पंचायतों के 42 सरपंचों को विभिन्न सिविल कार्यों के लिए प्रदान की गयी राशि ₹ 37.28 लाख का अग्रिम मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सी.ई.ओ.), जनपद पंचायतों द्वारा वसूल किये जाने थे।

इसके विरूद्ध राशि ₹ 2.97 लाख का समायोजन जुलाई 2014 तक किया गया था एवं मार्च 2015 की स्थिति में 40 सरपंचों से राशि ₹ 34.31 लाख बकाया अवशेष रहा **(परिशिष्ट 3.1)**।

अतः सी.ई.ओ., जनपद पंचायतों द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 92 (1) तथा (2) के पालन में दोषी सरपंचों से अवशेष बकाया के समयानुसार वसूली अथवा समायोजन में तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप राशि ₹ 34.31 लाख अग्रिम असमायोजित रहा।

[1] जनपद पंचायत डोंगरगढ़, चारामा, मोहला और दुर्ग